



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस विज्ञापित

विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में कुल 15 अभियुक्त गिरफ्तार ।

दिनांक-29.08.2023

दिनांक 28/29.08.2023 को रात्रि थाना नगराम 03, थाना विभूतिखण्ड 02, थाना दुबग्गा 02, थाना मडियांव 05, थाना पारा 01, थाना महानगर 01, थाना पीजीआई 01 अभियुक्त गिरफ्तार । इस प्रकार वांछित में कुल 15 अभियुक्त गिरफ्तार ।

भा0द0वि0

थाना बिजनौर – दिनांक 29.08.2023 को थाना बिजनौर द्वारा बताया गया कि वादी श्री पूरन पुत्र चेतउ लोधी निवासी मोहल्ला हसीन पुरवा, कस्बा बिजनौर लखनऊ ने थाना बिजनौर पर सूचना दिया कि दिनांक 29.08.2023 को प्रातः 8:30 बजे वादी का पुत्र सूरज उम्र 27 वर्ष अपनी मोटरसाइकिल यू0पी0 32 केएम 1608 स्प्लेण्डर प्लस से बाजार जा रहा था कि मोहल्ला हसीन पुरवा के सामने मुख्य मार्ग पर औरंगाबाद की तरफ से आ रही मोटरसाइकिल यू0पी0 34 बीके 8538 हीरो एचएफ डीलक्स के चालक नाम पता अज्ञात ने लापरवाही व तेज गति से मोटरसाइकिल चला कर वादी के पुत्र की मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी जिससे वादी का पुत्र घायल हो गया तथा वादी के पुत्र की मोटरसाइकिल भी क्षतिग्रस्त हो गयी । वादी के घायल पुत्र को घटना स्थल पर उपस्थित लोगो द्वारा इलाज हेतु लोकबन्धु में भर्ती कराया गया । जहां पर उपरोक्त सूरज उम्र 27 की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई । उक्त सूचना पर पर थाना बिजनौर पर मु0अ0सं0 210/2023 धारा 279/304ए/427 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

थाना मोहनलालगंज – दिनांक 29.08.2023 को थाना मोहनलालगंज द्वारा बताया गया कि वादी श्री संजय कुमार पुत्र स्व0 राम खेलावन निवासी भागूखेड़ा ,पोस्ट जैतीखेड़ा, मोहनलालगंज लखनऊ ने थाना मोहनलालगंज पर सूचना दिया कि दिनांक 25/26.08.2023 की रात्रि को वादी के घर की बाउड्री वाल कूद कर घर में अटैची में रखे सोने व चांदी के जेवरात व वादी के पैट में रखे पर्सा से नगद 2500/- रूपये तथा डीएल सहित अन्य कागजात 01 व्यक्ति नाम पता अज्ञात द्वारा चोरी कर लिया गया है । वादी के घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में एक व्यक्ति को बाउड्री वाल कूदते हुए देखा जा सकता है । इस सूचना पर थाना मोहनलालगंज पर मु0अ0सं0 0424/2023 धारा 380 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

थाना सरोजनी नगर – दिनांक 29.08.2023 को थाना सरोजनीनगर द्वारा बताया गया कि वादी संजय गुप्ता निवासी गौरीबाजार स्कूटर इण्डिया चौराहा थाना सरोजनीनगर लखनऊ द्वारा थाना सरोजनीनगर पर सूचना दिया गया कि दिनांक 28.08.2023 को एक ग्राहक रोहित, वादी के प्रतिष्ठान पर आया जिसने एक जोड़ी झाला वजन करीब 3.143 मि0ग्रा0 जिसकी कीमत 19,800/- है तथा एक लाकेट 4. 280 मि0ग्रा0 जिसकी कीमत 26,700 है । दोनो मिलाकर कुल 46500/-का सामान लिया तथा आनलाइन पेमेंट करने को कहा परन्तु उपरोक्त ग्राहक रोहित द्वारा पेमेंट न करके वादी को एक नकली मैसेज अपने मोबाइल फोन में दिखाकर उपरोक्त सामान ले गया । इस सूचना पर थाना सरोजनीनगर पर मु0अ0सं0 0379/2023 धारा 406/420 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

